



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

कार्यवृत्त

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की 11वी बैठक दिनांक 22.05.2025 को मा० कुलपति जी की अध्यक्षता में मध्याह्न 12.00 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
01	प्रो० संजीव कुमार, मा० कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री, ज्ञान प्रकाश वर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, सदस्य प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा	—
03	श्री विशेश्वर प्रसाद, कुलसचिव	सदस्य
04.	प्रो० मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ० चरण सिंह वि०वि०, मेरठ (आनलाइन उपस्थिति) कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य	आनलाइन प्रतिभाग किया गया।
05	श्री जग नारायण झा, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त सचिव

मा० कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

बिन्दु सं० 1—वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 29/03/2025 में लिए गए निणयों का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय— वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 29/03/2025 में लिए गए निणयों का सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया है।

बिन्दु सं० 2—रजिस्ट्रेशन शुल्क पूर्व वर्षों में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क मद में महाविद्यालयों द्वारा रु 250.00 एवं विश्वविद्यालय द्वारा रु 200.00 लिया जाता था। सत्र 2025-26 से रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाकर रु 300.00 लिये जाने पर विचार।

निर्णय— पूर्व वर्षों में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क मद में महाविद्यालयों द्वारा रु 250.00 एवं विश्वविद्यालय द्वारा रु 200.00 लिया जाता था। सत्र 2025-26 से रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाकर रु 300.00 किया गया सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 3—पूर्व के वर्षों में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में लिये जाने वाले शुल्क संरचना में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों यथा हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, एम०काम० जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन, गणित, भूगोल, इंटीग्रेटिव साइंस, कम्प्यूटर साइंस, एल०एल०एम०, गृहविज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, पेंटिंग में एम०ए०/मास्टर आफ विजुअल आर्ट, आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि-व्यवसाय प्रबंधन व बी०बी०ए० जैसे 25 पाठ्यक्रमों के शुल्क में आवश्यक संशोधन पर विचार।





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

निर्णय-

पूर्व के वर्षों में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में लिये जाने वाले शुल्क संरचना में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों यथा हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, एम0काम0 जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन, गणित, भूगोल, इंटीग्रेटिव साइंस, कम्प्यूटर साइंस, एल0एल0एम0, गृहविज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, पेंटिंग में एम0ए0/मास्टर आफ विजुअल आर्ट, आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि-व्यवसाय प्रबंधन व बी0बी0ए0 जैसे 25 पाठ्यक्रमों के शुल्क में अन्य शुल्क के रूप में सेमेस्टर गतिविधि शुल्क रू0 100 एवं वार्षिक समारोह शुल्क रू0 100 की (आवश्यक संशोधन) वृद्धि किया गया सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 4- सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किये जा रहे नये पाठ्यक्रमों में स्नातक के कला संकाय में 10 पाठ्यक्रमों (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, एवं चित्रकला), विज्ञान संकाय के 6 पाठ्यक्रमों (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर साइंस, वणिज्य (बी0काम0), ललित कला (B.F.A), बी0सी0ए0 (B.C.A) के स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ स्नातक में तकनीकी एवं इंजीनियरिंग के तीन ब्रान्चों बी0ई0 कम्प्यूटर साइंस, बी0ई0 कम्प्यूटर साइंस, (डाटा साइंस) एवं बी0ई0 कम्प्यूटर साइंस (ए0आई0 एवं मशीन लर्निंग) की शुल्क संरचना पर विचार।

निर्णय-

सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किये जा रहे नये पाठ्यक्रमों में स्नातक के कला संकाय में 10 पाठ्यक्रमों (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान, एवं चित्रकला), विज्ञान संकाय के 6 पाठ्यक्रमों (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर साइंस, वणिज्य (बी0काम0), ललित कला (B.F.A), बी0सी0ए0 (B.C.A) के स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ स्नातक में तकनीकी एवं इंजीनियरिंग के तीन ब्रान्चों बी0ई0 कम्प्यूटर साइंस, बी0ई0 कम्प्यूटर साइंस, (डाटा साइंस) एवं बी0ई0 कम्प्यूटर साइंस (ए0आई0 एवं मशीन लर्निंग) की शुल्क संरचना को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 5- सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किये जा रहे स्नातकोत्तर डिप्लोमा के नये पाठ्यक्रमों पी0जी0 डिप्लोमा पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण (PGDMC), पी0जी0 डिप्लोमा खाद्य पोषण एवं अहारिकी (PGDFND), पी0जी0 डिप्लोमा मार्गदर्शन एवं परामर्श (PGDGC), पी0जी0 डिप्लोमा व्यवसाय प्रबंधन (PGDBM) पी0जी0 डिप्लोमा आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन (PGDHTM) जैसे 5 नये पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना पर विचार।

निर्णय-

सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किये जा रहे स्नातकोत्तर डिप्लोमा के नये पाठ्यक्रमों पी0जी0 डिप्लोमा पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण (PGDMC), पी0जी0 डिप्लोमा खाद्य पोषण एवं अहारिकी (PGDFND), पी0जी0 डिप्लोमा मार्गदर्शन एवं परामर्श (PGDGC), पी0जी0 डिप्लोमा व्यवसाय प्रबंधन (PGDBM) पी0जी0 डिप्लोमा आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन (PGDHTM) जैसे 5 नये पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना को सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 8- नोडल केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों के पारिश्रमिक दर को संकलन केन्द्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं शिक्षकों के पारिश्रमिक दर के बराबर करने पर विचार।

L





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

निर्णय—

नोडल केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों के पारिश्रमिक दर को संकलन केन्द्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं शिक्षकों के पारिश्रमिक दर के बराबर नोडल केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों के पारिश्रमिक प्राचार्य रु0 6750.00, प्राध्यापक रु0 9000.00, तृतीय श्रेणी कर्मचारी रु0 2700.00, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रु0 1800.00, जलपान रु0 25.00 प्रति व्यक्ति, कन्टीजेन्सी (स्टेशनरी आदि) रु0 500.00 वृद्धि के साथ सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 7—विश्वविद्यालय में विद्युत आपूर्ति एवं परिसर में सोलर प्लांट का कार्य हेतु लगभग रु0 3,00,00,000.00 (तीन करोड़) बजट आवंटन पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में विद्युत आपूर्ति एवं परिसर में सोलर प्लांट के स्थापना कार्य हेतु लगभग रु0 3,00,00,000.00 (तीन करोड़) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 8— विश्वविद्यालय परिसर को सुन्दर/स्वच्छ एवं उद्यान विकसीत करने के लिए भू-सुन्दरीकरण (Landscaping) कार्य हेतु लगभग रु0 2,00,00,000.00 (दो करोड़) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय परिसर को सुन्दर/स्वच्छ एवं उद्यान विकसीत करने के लिए भू-सुन्दरीकरण (Landscaping) कार्य हेतु लगभग रु0 2,00,00,000.00 (दो करोड़) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 9—विश्वविद्यालय परिसर में आवसित छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों, शिक्षको हेतु व्यायामशाला (जिम) इनडोर एवं आउटडोर कार्य हेतु लगभग रु0 1,00,00,000.00 (एक करोड़) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय परिसर में आवसित छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों, शिक्षको हेतु व्यायामशाला (जिम) इनडोर एवं आउटडोर स्थापना कार्य हेतु लगभग रु0 1,00,00,000.00 (एक करोड़) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 10—विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन-1 एवं 2 के कार्यालयों और विभागों में पर्दे एवं रोलर का कार्य हेतु लगभग रु0 3,00,000.00 (तीन लाख) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन-1 एवं 2 के कार्यालयों और विभागों में पर्दे एवं रोलर का कार्य हेतु लगभग रु0 3,00,000.00 (तीन लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 11—विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक भवन-1 के मूल्यांकन कक्ष में 14 कूलर लगाये जाने हेतु लगभग रु0 2,00,000.00 (दो लाख) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

L





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

निर्णय- विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक भवन-1 के मूल्यांकन कक्ष में 14 कूलर लगाये जाने हेतु लगभग ₹0 2,00,000.00 (दो लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 12- विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जलपान के दरों में वृद्धि किये जाने पर विचारार्थ।

निर्णय- विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जलपान हेतु पूर्व से ₹0 35/प्रतिव्यक्ति के दर से स्वीकृत था जिसमें वृद्धि कर के ₹0 70/प्रतिव्यक्ति के दर से जलपान व्यय सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जो कि सत्र 25-26 से लागू होगा।

बिन्दु सं0 13- सत्र 2025-26 में अध्यापन कार्य प्रारम्भ होने से जुलाई में बढ़ती छात्र संख्या के दृष्टिगत छात्रावास हेतु 2 कर्लक, 2 कुक, 2 हेल्पर, एवं 2 ड्राइवर की नियुक्ति पर विचारार्थ।

निर्णय- सत्र 2025-26 में अध्यापन कार्य प्रारम्भ होने से जुलाई में बढ़ती छात्र संख्या के दृष्टिगत छात्रावास हेतु मेस की व्यवस्था जेम के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया के तहत की जाये एवं 2 कर्लक, 2 ड्राइवर की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से किया जाए। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 14- विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 25 सेवानिवृत्त सैनिक सुरक्षा कर्मी रखे जाने पर विचारार्थ।

निर्णय- विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 25 सेवानिवृत्त सैनिक सुरक्षा कर्मी, सैनिक कल्याण बोर्ड से रखे जाए सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 15- विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्यो नोडल/संकलन केन्द्र से उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय लाने ले जाने एवं गोपनीय कार्य हेतु 2 पिकअप जिसकी धनराशि लगभग 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय के आवश्यक कार्यो नोडल/संकलन केन्द्र से उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय लाने ले जाने एवं गोपनीय कार्य हेतु 2 पिकअप जिसकी धनराशि लगभग 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 16- विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में अध्यापन कार्य प्रारम्भ होने से जुलाई में बढ़ती छात्र संख्या के दृष्टिगत छात्र/छात्राओ कर्मचारियों, शिक्षको के आवागमन हेतु 2 मिनी बस जिसकी धनराशि लगभग 5000000.00 (पचास लाख) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में अध्यापन कार्य प्रारम्भ होने से जुलाई में बढ़ती छात्र संख्या के दृष्टिगत छात्र/छात्राओ कर्मचारियों, शिक्षको के आवागमन हेतु 2 मिनी बस जिसकी धनराशि लगभग 5000000.00 (पचास लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 17- विश्वविद्यालय परिसर में 3 सभागार कक्षों उपयोग हेतु बनाने के लिए लगभग 60,00,000.00 (साठ लाख) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

निर्णय— विश्वविद्यालय परिसर में 3 सभागार कक्षों को उपयोग हेतु बनाने के लिए लगभग 60,00,000.00 (साठ लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 18— विश्वविद्यालय में बी0ई0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम से सम्बंधित पुस्तकों का क्रय किये जाने हेतु लगभग 50 लाख (पचास लाख) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में बी0ई0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम से सम्बंधित पुस्तकों का क्रय किये जाने हेतु लगभग 50 लाख (पचास लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 19— विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवनों में स्थित अध्यापन कार्य हेतु कक्षों में छात्र/छात्रों के बैठने हेतु 2 सीटर/3 सीटर बेंच जिसकी धनराशि लगभग 1500000.00 (पंद्रह लाख) बजट आवंटन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवनों में स्थित अध्यापन कार्य हेतु कक्षों में छात्र/छात्रों के बैठने हेतु 2 सीटर/3 सीटर बेंच जिसकी धनराशि लगभग 1500000.00 (पंद्रह लाख) बजट का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 20— विश्वविद्यालयी कार्य हेतु किराये पर गाड़ी लेने हेतु दर का निर्धारण कार्य हेतु टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन किया जाए।

निर्णय— विश्वविद्यालयी विभिन्न कार्य हेतु किराये पर गाड़ी लेने हेतु दर का निर्धारण कार्य हेतु जेम के माध्यम से टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन किया जाए सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 21— विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा में नियुक्त उडाका दल/सचल दल के पारिश्रमिक दर प्रतिदिन के स्थान पर प्रतिपाली करने पर समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा में नियुक्त उडाका दल/सचल दल के पारिश्रमिक दर प्रतिदिन के स्थान पर प्रतिपाली करने पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश सं0 176/सत्तर-1-2019-15(32)/81 के क्रम में रू0-120/प्रतिदिन के स्थान पर रू0-120/प्रतिपाली की दर से करने के लिये शासन को पत्र कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से प्रेषित कर मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए।

बिन्दु सं0 22— विश्वविद्यालय में परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के पारिश्रमिक में होने वाले कटौती 5% के शिक्षक कल्याण कोष का उपयोग विभिन्न मदों पर करने पर समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के पारिश्रमिक में होने वाले कटौती 5% के शिक्षक कल्याण कोष का उपयोग विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का समिति ने अवलोकन किया समिति ने प्रस्ताव सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

बिन्दु सं० 23—विश्वविद्यालय में स्थित प्रशासनिक भवन को शैक्षणिक भवन-1, शैक्षणिक भवन-2, को लोहे के ग्रील से बने फाइबर/टीन शेड से जोड़ने के लिए धनराशि लगभग 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में स्थित प्रशासनिक भवन को शैक्षणिक भवन-1, शैक्षणिक भवन-2, को लोहे के ग्रील से बने फाइबर/टीन शेड से जोड़ने के लिए धनराशि लगभग 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 24—विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए इण्टरटैक्टिव पैनल के सम्बंध में पूर्व हुए 1 बार टेंडर को निरस्त किया गया है। उक्त के सम्बंध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए इण्टरटैक्टिव पैनल के सम्बंध में पूर्व हुए 1 बार टेंडर को निरस्त किया गया है। उक्त के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि इण्टरटैक्टिव पैनल के बिड में L1 हुए फर्म को आंशिक कार्यादेश निर्गत किया जाए, इण्टरटैक्टिव पैनल सुचारु रूप से कार्य करने की दशा में फर्म को पूर्ण कार्य का कार्यादेश जारी कर इण्टरटैक्टिव पैनल लगाये जाए, सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं० 25—अन्य बिन्दु मा० कुलपति जी के आदेश से।

निर्णय— (क)— विश्वविद्यालय में नियुक्त छात्रावास वार्डन के विविध व्यय हेतु रू०-5000.00/प्रतिमाह का प्राविधान सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(ख)— मा० कुलपति जी के कार्यालय हेतु पूर्व में स्वीकृत आतिथ्य सत्कार के लिए रू०-10000/प्रतिमाह को बढ़ाकर रू०-25000/प्रतिमाह किया गया सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
(ग)— मूल्यांकन में नियुक्त समन्वयक/सह समन्वयक, कर्मचारीयों के पारिश्रमिक तथा स्ववित्तपोषित शिक्षकों का डी०ए० बढ़ाने के लिए आगामी बैठक में रखने के लिए निर्णय लिया गया। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सचिव

(प्रो० संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष

